2/8/19 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 5 सपठित धारा 151 CPC एवं आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 CPC सुनी गई। सर्वप्रथम आवेदक/प्रार्थी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]गरिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न इह की
	(अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 039 R 4) में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किये कि प्रश्नगत आराजी का मृतक तेजा सिंह से विरासतन प्राप्त होना स्वयं अप्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र RTA 212 में प्रार्थी) ने प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया है। उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी महिला की सम्पत्ति में किसी भी उत्तराधिकारी का जन्म से कोई हक व हिस्सा नहीं होता। महिला अपनी सम्पत्ति की पूर्ण व अनन्य स्वामी होती है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीया मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रश्नगत आराजी में खातेदार काश्तकार है। स्थगन आदेश से प्रतिवादीया संख्या 1 अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। एवं उसे अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अतः एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/9/2010 को अपास्त फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी) ने जवाब बहस में कथन किये कि प्रतिवादी संख्या 1 ने तेजा सिंह को मृत मानकर विरासतन जमीन (signature) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहरिया	

प्राप्त की है जबकि तेजा सिंह के फौत होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ग्राम पंचायत मुकैरेशाने लापता तेजा सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया है इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लापता व्यक्ति का विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

इसके साथ ही अधिवक्ता वादीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित 151 सीपीसी के तहत आगे बहस करते हुवे कहा कि तेजा सिंह पुत्र अर्जन सिंह का विरासतन इन्तकाल संख्या 419 दाखिल संख्या 14 में पटवारी हल्का ने तेजा सिंह के फौत शब्द को काट कर लापता लिखा है। तेजा सिंह आज तक लापता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र किन प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है उसे स्पष्ट करवाने के लिए तेजा सिंह का वारिसनामा पेश करवाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीया ने जवाब बहस में कथन किये कि वादीया द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो इस की तामील में तारीख
	वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में तेजा सिंह की मृत्यु होने एवं प्रश्नगत कृषि भूमि विरासतन प्राप्त होने के अभिकथन अंकित किये है। वादीगण द्वारा नामान्तरकरण के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल एक पक्षीय स्थगन को जारी रखने के लिए मिथ्या व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 11 R 12 व 14 सीपीसी को खारिज कर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत O 39 R 4 CPC स्वीकार फरमावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो प्रार्थना-पत्र एक दूसरे पर अवलम्बित है जिनमें मूल बिन्दु यह है कि क्या तेजा सिंह लापता होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। एवं इसके आधार पर प्रतिवादीगण एवं वादीगण को वाद्‌गत आराजी विरासतन प्राप्त हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य- मृत्यु प्रमाणपत्र तेजा सिंह दिनांक 22/8/2012 के —	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पुरेरा द्वारा दिनांक 27/8/2012 को "लापता होने पर कोर्ट आदेश से मृत घोषित" टिप्पणी अंकित करते हुये दिनांक 20-1-88 को तेजा सिंह की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संगरिया के निर्णय दिनांक 1.8.2012 द्वारा तेजा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह की मृत्यु घोषित होना साबित है। अत: प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मा. न्यायालय के निर्णय के आलोक में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 CPC में अधिवक्ता वादीया द्वारा मूल आपत्ति यह उठाई गई कि लापता व्यक्ति का विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता जबकि न्यायालय द्वारा तेजा सिंह की मृत्यु घोषित होना प्रकट होता है। अधिवक्ता वादीया द्वारा दूसरी आपत्ति स्वर्ण सिंह	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो इ की तामील में
	के सम्बन्ध में उठाई की वंशावली के सम्बन्ध में उठाई गई जिसके जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादीया का कथन यह था कि स्वर्गीय वादीया द्वारा नामान्तरण को स्वर्गीय सिंह की मृत्यु उपरान्त कभी चुनौती नहीं दी गई और ना ही पृथक से कोई अपील पेश की गई। इस पर ~~न्यायालय~~ न्यायालय का अभिमत यह है कि तेजा सिंह की मृत्यु माननीय न्यायालय द्वारा घोषित होने के उपरान्त नामान्तरण संख्या 419 द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 419 द्वारा प्रश्नगत आराजी पक्षकारान के नाम दर्ज हुई। इस नामान्तरण का ज्ञान समान्त पक्षकारों को आरम्भ से था। इस नामान्तरण को चुनौती दिये जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 CPC खारिज किया जाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार महिला अपनी सम्पत्ति की पूर्ण व अनन्य स्वामिनी होती है। महिला की सम्पत्ति में किसी का जन्म से कोई हक हिस्सा नहीं होता है। अतः विधिक प्रावधानों के आलोक में एवं पत्रावली पर	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के उपरोक्ता-
नुसार विवेचन के आधार पर प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 CPC
स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा
दिनांक 17.9.2018 को प्रभावोन्मुक्त
व अपास्त किया जाता है। निर्णय
आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।
वादपत्र में भी उक्त निर्णय की
प्रति संलग्न हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नियमानुसार क्रम की जमा
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.11 14:30:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: